<u>संख्या-98/2026/885/सैंतीस-2-2026/001-1(15)/2022-1627309</u>

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 27 अप्रैल, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4896/सा.-2/सीपीएमयू-15/2026-27, दिनांक-13.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-03-गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-53.70 लाख (रूपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>मानक मद</u>	<u>स्वीकृत धनराशि (लाख में)</u>
08-कार्यालय व्यय	3.50
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	2.50
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	26.40
42-अन्य व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	4.40
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.40
योग-	**53.70**

(रूपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
3. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
5. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन/हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
7. संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।
11. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
13. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
14. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001020300 (गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	08 कार्यालय व्यय	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
2	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	26,40,000 (रुपये छब्बीस लाख चालीस हजार मात्र)
5	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,40,000 (रुपये चार लाख चालीस हजार मात्र)
7	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,40,000 (रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)

	कुल			**53,70,000** **(रुपये तिरेपन लाख सत्तर हजार मात्र)**

महायोग	53,70,000 (रुपये तिरेपन लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0- 98/2026/885(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(15)/2022-1627309, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।